



# सराहनीय कार्य इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 10/06/2024

**दहेज हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना सैफई पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही ।

## घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.06.2024 को वादी सन्तोष कुमार पुत्र अटेली महाराज निवासी ग्राम नगला शीशिया, वैदपुरा, इटावा द्वारा थाना सैफई पर तहरीरी सूचना दी गयी कि वादी की पुत्री सोनी की शादी दिनांक 04.12.23 को यतेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण निवासी नगला हरनाथ, सैफई, इटावा के साथ हुयी थी । दिनांक 02.06.24 को ससुरालियों द्वारा अतिरिक्त दहेज न देने के कारण वादी की पुत्री सोनी की मारपीट कर हत्या कर दी गयी । सूचना के आधार पर थाना सैफई पर मु0अ0सं0 106/24 धारा 498A/304B भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

## गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे आज दिनांक 10.06.24 को थाना सैफई पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी । इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मु0अ0सं0 106/24 से संबंधित **अभियुक्त यतेन्द्र पुत्र रामनारायण को दुमीला बॉर्डर के पास से समय 07:10 बजे गिरफ्तार किया गया ।**

## गिरफ्तार अभियुक्त-

1. यतेन्द्र पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम नगला हरनाथ थाना सैफई जनपद इटावा उम्र 30 वर्ष ।

## पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 106/24 धारा 498A/304B भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना सैफई जनपद इटावा ।

**पुलिस टीम** -नि0 श्री बलराम मिश्रा प्रभारी थाना सैफई जनपद इटावा, उ0नि0 मलखान सिंह मय टीम ।